न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/57 दायरा दिनांक : 24.03.2021

उनवान

1. लटूर लाल पुत्र श्री धन्नालाल, जाति मीणा
2. रामकन्या बाई बेवा श्री धन्नालाल, जाति मीणा,
   निवासीगण ग्राम बालून्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री छगन लाल, जाति मीणा, निवासी बालून्दा
2. राजेश बाई बेवा श्री रवि प्रकाश, जाति मीणा, निवासी ग्राम बालून्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
3. काली बाई पुत्री स्वर्गीय श्री रवि प्रकाश, जाति मीणा, निवासी ग्राम बालून्दा नाबालिग जरिये वली माता राजेश बाई बेवा श्री रवि प्रकाश, जाति मीणा, निवासी ग्राम बालून्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
4. मोनू कुमारी पुत्री स्वर्गीय श्री रवि प्रकाश, जाति मीणा, निवासी ग्राम बालून्दा नाबालिग जरिये वली माता राजेश बाई बेवा श्री रवि प्रकाश, जाति मीणा, निवासी ग्राम बालून्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बृजकिशोर शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री कमलदीप सिंह हाडा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 04.09.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 53/2018 निर्णय दिनांक 19.02.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बालून्दा, तहसील मांगरोल में हाल खसरा नं. 128 रकबा 1.02 हेक्टर, खसरा नं. 156 रकबा 2.56 हेक्टर, खसरा नं. 160/408 रकबा 2.93 हेक्टर, खसरा नं. 165 रकबा 1.17 हेक्टर, खसरा नं. 333 रकबा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

0.68 हेक्टर, खसरा नं. 153 रकबा 1.07 हेक्टर, खसरा नं. 160 रकबा 2.94 हेक्टर, खसरा नं. 247 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरां नं. 288 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 292 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नं. 225 रकबा 0.46 हेक्टर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय दिनांक 19.02.2021 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी छगनलाल की पैतृक सम्पत्ति है जो उसे विरासतन में प्राप्त हुई थी। छगन लाल का देहान्त हो चुका है। छगन लाल के चार पुत्र धन्नालाल, चतरभुज, कन्हैयालाल व रामगोपाल हुए। छगनलाल की मृत्यु उपरान्त पुत्र चतरभुज व रामगोपाल भी लाऔलाद फौत हो गये तथा उक्त विवादित सम्पत्ति में धन्ना व कन्हैयालाल का 1/2 निहित रहा है, एवं धन्नालाल के फौत होने के बाद उसके वारिसान अपीलांट/वादीगण का उक्त विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा है। रेस्पोडेंट कम 1 ने सैटलमेंट विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर छगनलाल के जीवनकाल में उक्त जायदाद को हडपने के लिये एक फर्जी इकरारनामा विवादित भूमि बंटवारा देकर छगनलाल के जीवनकाल में ही कुछ भूमि खाता सं. 15 की कुल किता 4 रकबा 3.33 हेक्टर व खाता सं. 74 कुल किता 1 कुल रकबा 0.64 हेक्टर व खाता सं. 75 कुल 1 किता कुल रकबा 2.56 हेक्टर, खाता सं. 7 कुल किता 4 कुल रकबा 4.94 हेक्टर व खाता सं. 21 कुल किता 1 कुल रकबा 1.07 हेक्टर राजस्व रेकार्ड में अंकित करवा लिया तथा रेस्पोडेंट कम 1 रामगोपाल पुत्र श्री छगनलाल की मृत्यु उपरान्त उसका फोती इंतकाल अपने पौत्र रविप्रकाश पुत्र श्री कन्हैयालाल के नाम पर इंतकाल नं. 5 से गैर कानूनी रूप से दर्ज करवा लिया तथा उनका अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया है जो कतई गैरकानूनी रूप से दर्ज करवाया है कानून सैटलमेंट विभाग को इस प्रकार बंटवारा कर पृथक पृथक खातेदारान का राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तथा इंतकाल नं. 5 जो कि कतई गैर कानूनी है तथा उक्त गैर कानूनी नामान्तरकरण से रेस्पोडेंट कम 1 को उक्त आराजियात में कोई कानूनी अधिकार प्रापत नहीं होते हैं। अपीलांट छगनलाल के वारिसान व कायम मुकामान है तथा विरासतन छगनलाल की उक्त विवादित आराजियात सम्पूर्ण आराजियात में अपीलांट कम 1 व 2 का 1/2 हिस्सा निहित है तथा वह कानून अपने हक व हिस्से की आराजी का बंटवारा करवाकर पृथक से खातेदार दर्ज करवाने के वैधानिक अधिकारी है मौके पर अपीलांट अपने हक व हिस्से अनुसार विवादित आराजियात पर काबिज काश्त है किन्तु रेस्पोडेंट के खातेदारी में गलत अंकन हो जाने के कारण वह उसका दुरूप्योग कर रहन, बेचान व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने पर आमादा है, कन्हैयालाल ने दौराने दावा उक्त विवादित आराजियात की खसरा नं. 157/418 को नामान्तरकरण 1 से ओम प्रकाश, भगवान प्रसाद व जितेन्द्र कुमार को 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से का रजि0 दान पत्र करवा दिया है। इस प्रकार से रेस्पोडेंट नं.

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

1 गैर कानूनी रूप से उक्त विवादित आराजियात को दौराने तहकीकात दावा मुन्तकिल कर रहा है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को इस प्रकार से बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस संबंध में आर.आर.डी. 1994 पेज 761 व आर.आर.डी. 1993 पेज 45 पर उक्त नजीर पृष्ठांकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 19.02.2021 निरस्त किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए पारित किया गया है जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक 19.02.2021 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट्स के हक में स्थगन आदेश इस आशय का जारी फरमावे कि दौराने तहकीकात दावा रेस्पोडेंट विवादित आराजियात को रहन, बेचान व अन्य प्रकार से मुन्तकित नहीं करें तथा अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलनदाजी नहीं करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि वादग्रस्त आराजी छगनलाल के खाते की है। छगन लाल के चार पुत्र धन्नालाल, चतरभुज, कन्हैयालाल व रामगोपाल हुए। छगनलाल की मृत्यु उपरान्त पुत्र चतरभुज व रामगोपाल भी लाऔलाद फौत हो गये तथा उक्त विवादित सम्पत्ति में धन्ना व कन्हैयालाल का 1/2–1/2 हिस्सा निहित रहा है, एवं धन्नालाल के फौत होने के बाद उसके वारिसान अपीलांट/वादीगण का उक्त विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा है। रेस्पोडेंट नं. 1 ने छगनलाल से इकरारनामा लिखवाकर सम्पूर्ण आराजी अपने नाम करवा ली। इकरारनामे से राईट नहीं मिलते। हमने दावा किया है, दावे के निस्तारण तक स्थगन आदेश जारी किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि स्थगन आदेश प्रार्थना पत्र में केवल खसरा नं. अंकित है खातेदारों का कोई उल्लेख नहीं है। सम्पूर्ण आराजी में 1/2 हिस्सा मानते हैं। पुश्तैनी आराजी स्वीकार कर रहे हैं और चार पुत्र होना मानते हैं तथा दो पुत्र ला औलाद फौत होना भी स्वीकार करते हैं ये दोनों अपनी आराजी रेस्पोडेंट के नाम कर गये। इकरारनामा फर्जी है यह दावे में निर्णित होगा। नामान्तरकरण रविप्रकाश के नाम दिनांक 30.08.1991 को खुला। रविप्रकाश की मृत्यु के बाद रेस्पोडेंट के नाम खुला। दिनांक 09.04.1983 सैटलमेंट के आदेश को चैलेन्ज नहीं किया गया है। वर्तमान में कन्हैयालाल ने अपने पुत्रों के नाम बंटवारा कर दिया है परन्तु उन्हें पार्टी नहीं बनाया गया। खसरा नं. 128 रकबा 1.02 बीघा ये कमल पुत्र रामकल्याण

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

के खाते है जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया। अतः स्थगन आदेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया तथा वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम बलून्दा, तहसील मांगरोल में हाल खसरा नं. 128 रकबा 1.02 हैक्टर, खसरा नं. 156 रकबा 2.56 हैक्टर, खसरा नं. 160/408 रकबा 2.93 हैक्टर, खसरा नं. 165 रकबा 1.17 हैक्टर, खसरा नं. 333 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नं. 153 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा नं. 160 रकबा 2.94 हैक्टर, खसरा नं. 247 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नं. 288 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नं. 292 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नं. 225 रकबा 0.46 हैक्टर आराजी स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि छगनलाल की है तथा छगनलाल के चारों पुत्र 1. धन्नालाल 2. चतुर्भुज, 3. कन्हैयालाल, 4. रामगोपाल है। इनमें से चतुर्भुज और रामगोपाल दोनों लाऔलाद फौत हुए हैं। इस कारण विवादित आराजी में प्रार्थीगण का 1/2 व अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा रहेगा। अप्रार्थी कम 1 ने वक्त सेटलमेंट के कर्मचारियों से मिलकर छगनलाल के जीवनकाल में ही एक फर्जी इकरारनामा के आधार पर विवादित भूमियों का एक बंटवारानामा भू–प्रबन्ध विभाग के कार्मिकों से करवा लिया। उसमें प्रार्थीगण अथवा उसके पिता की भी सहमति नही थी। इस प्रकार इंतकाल नं. 5 दिनांक 30.08.1991 व बंटवारानामा जो दिनांक 09.04.1983 को सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया गया है जो प्रभाव शून्य है। इकरारनामे पर प्रार्थीगण के अलावा उनके पिता के भी हस्ताक्षर नहीं है। प्रार्थीगण अपना 1/2 हिस्सा शांतिपूर्ण काश्त कर रहे है। किन्तु अप्रार्थीगण अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी को जबरन रहन–बेचान व अन्य प्रकार से कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण अविलम्ब अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी व नलिशी है।

अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण की ओर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर उसमें यह अंकित किया कि पूर्व खातेदार छगनलाल पुत्र सुखलाल ने अपनी जायदाद आराजी का आपसी सहमति से बंटवारा कर दिया था अतः इसे अब चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित नहीं किया है कि कौन–कौन से खसरा नम्बर की भूमि पर काबिज है तथा 1/2 हिस्से भूमि में कितने बीघा भूमि आती है। प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा भूमि पर कब्जा नहीं है। अप्रार्थीगण अपनी आराजी के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

रिकार्डेड खातेदार है। रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय दिनांक 19.02.2021 के द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थीगण 1 ता 4 वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी संवत 2035–2038 के अनुसार विवादित आराजी सैटलमेंट पूर्व छगनलाल पुत्र सुखलाल के खाते दर्ज रिकार्ड थी। नकल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग संवत 2044 से 2063 एवं नकल जमाबंदी भू प्रबन्ध विभाग खाता सं. 42, 27, 65, 34, 43 से मूल खातेदार छगनलाल पुत्र सुखलाल एवं धन्नालाल, कन्हैयालाल, रामगोपाल, चतुर्भुज पुत्र छगनलाल के पृथक पृथक खाते दर्ज हुई। सैटलमेंट से ठीक पहले की चौसाला जमाबंदी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। यदि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सैटलमेंट विवादित आराजी का विभाजन करते हुए खाते पृथक पृथक दर्ज किये गये है तथा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया विभाजन विधिवत नहीं है, तो इस प्रश्न का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य के आधार पर किया जाना है। विवादित आराजी वर्तमान नकल जमाबंदी संवत 2073–2076 खाता सं. 15, 74, 75, 7 एवं 21 के अनुसार प्रार्थी अपीलांट एवं अप्रार्थी रेस्पोडेंट तथा चतुर्भुज पुत्र छगनलाल के पृथक पृथक खाते दर्ज रिकार्ड है। चतुर्भुज पुत्र छगनलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है। विवादित आराजी प्रार्थी अपीलांट एवं अप्रार्थी रेस्पोडेंटगण के पृथक पृथक खाते में दर्ज होने से रिकॉर्डेड खातेदार अप्रार्थी रेस्पोडेंटगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना विधि सम्मत नहीं होने के कारण हम अपील के इस स्तर पर अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/09/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा